



सराहनीय कार्य दिनांक 22-11-2022 जनपद फिरोजाबाद ।

थाना रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 19-11-2022 को हुयी हत्या की घटना का सफल अनावरण करते 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

➤ मोबाइल चोरी के शक में दोस्तों ने ही की थी विजय की हत्या ।

दिनांक 19.11.2022 को वादी श्री अशोक कुमार पुत्र पीतम्बर निवासी रविदास नगर सैलई थाना रामगढ़ फिरोजाबाद द्वारा अपने पुत्र विजय कुमार उम्र करीब 22 वर्ष को घर से बुलाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था । प्रार्थना पत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना रामगढ़ पर मु0अ0स0 649/2022 धारा 302 भादवि बनाम 1. करुआ आदि 06 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा उक्त घटना पर संज्ञान लेकर वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी टुण्डला व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व मे थाना रामगढ़ पुलिस वांछित अभियुक्तों के सम्बन्ध में जानकारी जुटा रही थी तभी मुखबिर ने सूचना दी कि अभियुक्त करुआ उर्फ महेश पुत्र राजवीर और रामप्रकाश उपरोक्त फरार होने की फिराक मे ठारफूटा चौराहे के पास खडे है । मुखबिर की सूचना पर थाना रामगढ़ पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्त 1. करुआ उर्फ महेश 2. रामप्रकाश दिनांक 21.11.22 को समय 16.40 बजे गिरफ्तार कर लिया । आलाकत्ल ईट को घटना स्थल से बरामद किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक तिरपाल प्लास्टिक नीली कलर खून के धब्बों से सनी व अभियुक्त रामप्रकाश का खाकी कलर खून से सना हुआ बरामद किया गया। जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 18/11/2022 को हम दोनों व विजय कुमार तीनों लोगो ने साँती रोड पर देशी शराब के ठेके के पास शराब पी थी शराब पीने के बाद विजय ने रामप्रकाश का मोबाइल छिपा लिया था जिसको लेकर हम तीनों मे आपस मे झगडा होने लगा फिर हम तीनों लोग झगडा करते हुये ग्राउन्ड मे आ गये । हम दोनों ने विजय के सिर मे ईट मार दी और विजय गिर गया और बेहोश हो गया । अँधेरे मे हमको ज्यादा कुछ नही दिख रहा था फिर हम दोनों ने विजय के फिर ईटे मारी । हम दोनो ने विजय के कपडे उतार कर फैक दिये और हम दोनो ने उसके गुप्ताँगो पर भी ईटो से चोट मारी थी । विजय को एक साइड मे रख कर हम दोनो, रामप्रकाश के घर आये रामप्रकाश ने अपने घर से नीले कलर की त्रिपाल ली । फिर हम दोनों ने विजय को त्रिपाल मे लपेट लिया और विजय की लाश को एक सूनसान खपैरल वाली कोठरी, जिसमें कोई रहता नहीं है दरवाजा भी नहीं लगा है में ले जाकर छिपा दिया था और हम अपने घर आ गये । करुआ उर्फ महेश ने जो कपडे पहने था उसमें खून के दाग लग गये थे जिन्हें करुआ उर्फ महेश ने अपने घर की छत के ऊपर रात में जलाकर राख को हवा में बिखेर कर फैक दिया था । जब हमे पता चला कि कि हम दोनो के खिलाफ मुकदमा लिख गया है तो हम लोग हम दोनों पकडे जाने के डर से भाग गये थे और आज हम दोनों बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे कि आप लोगो ने पकड लिया ।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण –

1. रामप्रकाश पुत्र अशोक कुमार निवासी अवधेश का किराये का मकान नई आवादी भीकनपुर थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद व स्थायी पता ग्राम साँती थाना मख्खनपुर जनपद फिरोजाबाद ।
2. करुआ उर्फ महेश पुत्र राजवीर निवासी नई आबादी भीकनपुर थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद ।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0स0 649/2022 धारा 302/201/34 भादवि थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद ।

बरामदगी:-

1. एक अदद तिरपाल प्लास्टिक नीली कलर खून के धब्बों से सनी
2. एक अदद लोअर अभियुक्त रामप्रकाश का खाकी कलर खून से सना हुआ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रवि त्यागी थाना रामगढ फिरोजाबाद ।
2. निरीक्षक अपराध श्री रामप्रवेश यादव थाना रामगढ फिरोजाबाद ।
3. उ0नि0 श्री उमेश सिंह थाना रामगढ फिरोजाबाद ।
4. का0 836 लवप्रकाश थाना रामगढ फिरोजाबाद ।
5. का0 329 गौरव कुमार , 6. का0 256 खजान सिंह , 7. का0 1330 योगेन्द्र सिंह 8. म0का0 173 रुकमा थाना रामगढ फिरोजाबाद ।